Course : - Bachelor of Library and Information Science

(BLIS)

Paper : - Paper-II

Prepared By: - Aftab Ahmad, Assistant Librarian, Faculty Library Science

School of Library and Information Sciences, Nalanda Open University

Topic: - Sources of Library Finance

CONTENTS

1. Regular Grant From Parent Body
2. Grants From Endowment and Charitable Institutions
3. Government Grants
4. Library Fines and Fees
5. Gift
6. Adhoc Grants From Other Department / Institutions
7. Library Tax
8. Library Publication
9. University Library
10. College Library
11. School Library
12. Public Library
13. Special Library

Scanned with CamScanner

12.6 पुस्तकालय वित्त के स्रोत (Source of Library Finance) :

पुस्तकालय वित्त में पुस्तकालय की विनियोजित निधि और इसका व्यय दोनो सम्मिलित होते है। पुस्तकालय अपनी गतिविधियों कार्यकलापो और सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूरी तरह से निधि की निरन्तर आपूर्ति पर निर्भर करते है। इस लेन–देन मे निधि की निरंतर आपूर्ति केवल वार्षिक आधार पर न होकर यदि तीन या पाँच वर्ष की अवधि के लिए हो तो अधिक महत्वपूर्ण होती है। किसी संस्था के संचालन एवं प्रबन्धन मे वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषकर पुस्तकालयो के सन्दर्भ मे जो कि सम्पूर्ण वर्ष एवं इससे भी अधिक समयावधि तक निरन्तर संग्रह की प्राप्ति एवं संग्रह का निर्माण करते है। पुस्तको एवं शोध पत्रिकाओ के देय शुल्क की बढ़ती कीमतो के कारण निधि की सुनिश्चित आपूर्ति के बिना उपरोक्त की आवश्यकता के अनुरूप संग्रह विकास कार्यक्रम की योजना बनाना असम्भव होगा। वित्तीय विकास पुस्तको एव शोध पत्रिकाओ के परिग्रहण के लिए राशि का विनियोजन तो कर देते है परन्तु प्राय अर्जित सामान पर और उस सामान को उपयोग के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर व्यय होने वाली आवश्यक राशि की अनदेखी कर देते है। इसलिए सक्षम व्यक्तियों को ही पुस्तको पर व्यय करना चाहिए। इसके साथ ही निधि की निरन्तर उपलब्धता उपयोक्ता सेवाओ मे तालमेल बनाये रखती है । ये सेवायें निरन्तर दी जानी चाहिए। जब तक इन सेवाओ के लिए पर्याप्त वित्त उपलब्ध नही कराया जायेगा तब तक पुस्तकालय अप्रभावी रहेगा। विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयो को विभिन्न स्रोतो से वित्त की प्राप्ति होती है जिनमें से कुछ स्रोत सामान्य है जैसे कि राजकीय अनुदान / कार्य संचालन वित्त का बहुत बड़ा प्रतिशत कर के रूप मे प्राप्त होने वाली लोक निधि से मिलता है। पुस्तकालयों के लिए वित्त के स्रोतो को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है।

पैतृक संस्था से नियमित अनुदान (Regular Grants from Parent Body) :

पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अपनी पैत्रक संस्था द्वारा बनाये गये विनियोजन से अपनी आय प्राप्त करते है और जब भी पैत्रक संस्था कोई ऐसी नयी परियोजना का आरम्भ करती है जिसमें पुस्तकालय या सूचना केन्द्र की आवश्यकता पड़ती है तब इन सुविधाओ को उपलब्ध कराने के लिए पुस्तकालय को उनकी पैत्रक संस्था द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है जिससे पुस्तकालय को आय प्राप्त होती है।

धर्मदा और परोपकारी संस्थाओं से अनुदान (Grants from Endowments and Charitable Instituts) :

पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रो को अनेक रूप से व्यक्तिगत तथा धर्मदा परोपकारी संस्थाओ द्वारा सहायता प्रदान की जाती रही है । यह सहायता स्वैच्छिक होती है । अत इस धन की पूर्व कल्पना नही की जा सकती। इसलिए इस प्रकार के धन पर निश्चित रूप से निर्भर नही रहा जा सकता ऐसी सहायता अनिश्चित एव अनियमित होती है परन्तु इस प्रकार की सहायता से पुस्तकालय मे आय की प्राप्ति होती है और पुस्तकालय इस प्रकार की सहायता करने वालो का ऋणी रहता है।

Scanned with CamScanner

राजकीय अनुदान (Government Grants) :

सरकार भी पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों के लिए अन्य नागरिक सेवाओं की भाँति नियमित अनुदान (Grants) प्रदान करती है। शासकीय अनुदान एवं सहायता से ही बड़े-बड़े पुस्तकालय सुचारू रूप से चल पाते है। अनुदान वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार वितरित करना चाहिए कि पुस्तकालय की समस्त आवश्यकताएँ पूर्ण हो सकें। समुचित अनुदान पुस्तकालयों को निरन्तर मिलता रहे यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रान्त में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो ।

पुस्तकालय अर्थदण्ड एवं शुल्क (Library fines & fees) :

पुस्तकालयों में जुर्माना, आय का साधन न होकर वास्तव में दण्डात्मक व्यवस्था है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब पुस्तकें समय से नही वापस की जाती है, उनको क्षति पहुँचायी जाये या फाड़ दी जायें अथवा पृष्ठ काट दिये जाये ऐसी स्थिति में पाठकों से दण्ड स्वरूप जुर्माना लिया जाता है इससे भी पुस्तकालय को आय हो जाती है तथा इसका प्रयोग भी तुरन्त हो जाता है। पाठकों से सेवा शुल्क भी लिया जाता है पुस्तकालय शुल्क का निर्णय पुस्तकालय प्रबन्धक समिति (Library Management Committee) द्वारा तय किया जाता है।

उपहार (Gift) :

अधिकांश पुस्तकालयों को विभिन्न साधनों से कुछ धनराशि एवं अन्य पाठ्य सामग्री उपहार स्वरूप प्राप्त होती है। लेकिन इसका वित्तीय सहायता में नाम मात्र का प्रावधान है।

दूसरे विभागों/संस्थानों से तदर्थ अनुदान

(Adhoc Grants from other departments/institutions):

पुस्तकालयों को दूसरे विभागों से अथवा संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इससे भी पुस्तकालय के वित्त में बढ़ोत्तरी एवं सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होती है।

पुस्तकालय कर/उपकर (Library Tax/rates) :

पुस्तकालयों में यह सार्वजनिक आय का प्रमुख साधन है यह धनराशि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार लगाये गये प्रत्यक्ष पुस्तकालय कर के रूप में प्राप्त होती है। पुस्तकालय करों के महत्व को समझाते हुए पुस्तकालय समिति (भारत) ने भारत सरकार को सम्पत्ति कर के साथ पुस्तकालय कर को सम्बद्ध करने का सुझाव दिया था।

पुस्तकालय प्रकाशनों और रद्दी के विक्रय द्वारा :

पुस्तकालय प्रकाशनों और रद्दी के विक्रय द्वारा प्रतिलिपि करण सेवाओं, अनुवाद और अन्य प्रलेखन सेवाओं से प्राप्त आय को विविध स्रोतों में सम्मिलित किया जा सकता है। ये सेवायें प्रायः बिना लाभ के प्रदान की जाती है। प्रायः ऐसी (समिति) निधि को पैतृक संस्था की सामान्य निधि में जोड़कर साधारण बजट के माध्यम से आवंटित किया जाता है।

शैक्षिक पुस्तकालय :

विश्वविद्यालय पुस्तकालय (University Library) :

विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को अपनी निधि विविध मात्रा में दो स्रोतों से प्राप्त होती है। अपनी निधि के अतिरिक्त इन्हें विश्वविद्यालयों से वित्तीय सहायता मिलती है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा राज्य सरकार दोनों से विशेष अनुदान भी मिलता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान मुख्यतः योजना अनुदान (Plan Grants) होते है जबकि राज्य सरकार के अनुदान अधिकतर गैर-योजना अनुदान (Non-Plan Grants) होते है। यद्यपि सरकार के अनुदान पुस्तकालयों को सीधे प्रदान नहीं किये जाते है। प्रायः सरकार विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करती है और तब विश्वविद्यालय उसमें से जरूरी हिस्सा पुस्तकालय को प्रदान करते है।

Scanned with CamScanner

महाविद्यालय पुस्तकालय (College Library) :

महाविद्यालय पुस्तकालय में वित्त उसके पाठ्यक्रम की प्रकृति, सेवा की मात्रा और गुणवत्ता तथा विद्यमान संग्रह के गुणों पर निर्भर करती है ये प्रत्येक महाविद्यालय पुस्तकालय मे अलग–अलग होती है। महाविद्यालय के पुस्तकालयों को निधि आवंटित करते समय एवं मापदण्ड के रूप में उसके कुल छात्रों पर भी विचार किया जाता है। महाविद्यालय पुस्तकालय निधि के तीन स्रोत हैं महाविद्यालय के सामयिक संचालन निधि से किया जाने वाला आवंटन इसका मुख्य स्रोत है। समय–समय पर प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के आकस्मिक अनुदान का कुछ भाग भी पुस्तकालयों को प्रदान किया जाता है। अनुदान किसी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त उपहार और धर्मदा, देय शुल्क, छात्रों से प्राप्त सदस्यता शुल्क और राज्य सरकार या संस्थान के शासी निकायों द्वारा प्रदत्त आवर्ती और अनावर्ती अनुदान इत्यादि।

विद्यालय पुस्तकालय (School Library) :

विद्यालयों के सन्दर्भ मे पुस्तकालय सेवाओं के लिए शुल्क दर कम निर्धारित की जाती है, क्योंकि छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कम कीमत वाली पुस्तकों की आवश्यकता होती है। अपने यहाँ विद्यालय पुस्तकालयों के वित्तीय प्रावधान के लिए अभी कोई निश्चित मानदण्ड उपलब्ध नही है। एक विद्यालय की पुस्तकालय निधि मे छात्रों से एकत्रित किया गया शुल्क उसके बराबर विद्यालय प्रबन्धन का योगदान, उतना ही राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय का योगदान, विशेषतौर पर पुस्तकालय को कभी भी दिये जाने वाले उपहार अथवा विशिष्ट अनुदान और जनता द्वारा दी जाने वाली भेंट इत्यादि सम्मिलित है।

सार्वजनिक पुस्तकालय (Public Library) :

सार्वजनिक पुस्तकालय की आय के मुख्य स्रोत देय शुल्क, पुस्तकालय उपहार और सरकार से प्राप्त अनुदान तथा धर्मदा है। देय शुल्क को पुस्तकालय निधि का स्रोत माने जाने पर बड़ा विवाद है। इसका एक प्रबल विरोधी मत है कि देय शुल्क डा० एस० आर० रंगनाथन द्वारा दी गयी निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की सम्पूर्ण धारणा को निष्फल करता है। भारत सरकार द्वारा गठित 1957 मे पुस्तकालयों की सलाहकार समिति के प्रतिवेदन मे भी देय शुल्क को आय के स्रोत के रूप मे मानना अनुपयुक्त ठहराया गया है सलाहकार समिति ने पुस्तकालयों मे ऐसे देय शुल्कों का वर्णन 'प्रगति रोधक' के रूप में किया है । भारतीय संघ के पाँच राज्यों के पुस्तकालय अधिनियम पर चर्चा हुई है उनमे से तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक मे पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। तमिलनाडु और आन्ध्रप्रदेश पुस्तकालय अधिनियमों मे भूमि एवं सम्पत्ति करों का छः प्रतिशत की दर से अधिभार के रूप मे पुस्तकालय उपकर लगाने का प्रावधान किया गया है। कर्नाटक अधिनियम में 3 प्रतिशत की दर से अधिभार के रूप में न सिर्फ भूमि और मकान के कर पर बल्कि चुंगी कर, वाहन कर और व्यवसायी कर पर भी पुस्तकालय उपकर लगाने का प्रावधान किया गया है। पुस्तकालय उपकर के अतिरिक्त कर्नाटक के सार्वजनिक पुस्तकालय कुल भूमि कर से प्राप्त आय के 3 प्रतिशत के बराबर सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं अन्य दो राज्यों–महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल ने पुस्तकालय उपकर को प्रस्तावित नहीं किया। इन राज्यों मे सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए अनुदान का प्रस्ताव किया गया है । धर्मदा, परोपकारी संस्थान और निजी दान भी सार्वजनिक पुस्तकालयों की आय के अन्य स्रोत है। पुस्तकालयों की वित्तीय माँगों का स्वरूप आवर्ती होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय की आय के अन्य स्रोत शुल्क, अर्थदण्ड, उपहार इत्यादि नकद या वस्तु भी आय के स्रोत माने जाते है।

विशिष्ट पुस्तकालय (Special Library) :

विशिष्ट पुस्तकालय अपनी पैतृक संस्था द्वारा बनाये गये विनियोजन से अपनी निधि प्राप्त करते हैं। जब भी पैतृक संस्था कोई ऐसी नई परियोजना या कार्यक्रम शुरू करती है जिसमे पुस्तकालय एवं सूचना सहायता की आवश्यकता पड़ती है तब इन विशेष सहायता सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए पुस्तकालय को पर्याप्त वित्त प्रदान किया जा सकता है। निधि प्रदान करने से पहले विशेष सेवाओं को जाँचा जाता है उनके लिए पुस्तकालय द्वारा निधि की माँग की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सरकारी एजेन्सियों से तदर्थ अनुदान प्राप्त किये जाते है। विशिष्ट पुस्तकालय अपने संसाधनों की प्राप्ति के तरीकों और रास्तों पर गम्भीरता से विचार कर रहीं है।

Scanned with CamScanner